

## समक्ष श्रीमान् राजस्व बोर्ड, मध्यप्रदेश

राजस्व रिवीजन कं. ....../2016

7271-I-16

आवेदक

: मनीष कुमार जायसवाल,  
आत्मज श्री आर.एम.जायसवाल,  
उम्र लगभग 45वर्ष,  
पेशा-व्यवसाय, निवासी-2324/बी  
राईट टाऊन जबलपुर (म.प्र.)

विरुद्ध

अनावेदकगण

1. म.प्र. शासन,  
द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प  
जबलपुर
2. आयुक्त,  
नगर निगम जबलपुर (म.प्र.)

रिवीजन अंतर्गत धारा 56(4) स्टाम्प अधिनियम 1899

प्रस्तुत रिवीजन कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला  
जबलपुर के प्रकरण क.448/बी-103/33/2013-14  
में पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 22/11/2014  
से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर  
प्रस्तुत है।

रिवीजन के तथ्य


1. यह कि, आवेदक ग्राम लक्ष्मीपुर पटवारी हल्का  
नं. 33, बदनपुर में स्थित खसरा नं. 97,  
121/2, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4,  
127/1, 128, 129, 130, 131, 132,  
133, 134, 135, 136, 138, 139,

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-7271-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/03/2018	<p>आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं। समय-समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई, परंतु कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	